RTI Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/58/2013-14

5 सितम्बर, 2013

श्रीमती अंजुम बी
पत्नी श्री सत्तार खान,
332, इसहाक नगर कालोनी,
खजराना, इंदौर,
मध्य प्रदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदया,

उक्त विषय में कृपया अपने पत्र दिनांक 18 अगस्त 2013 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से आपने अपने दिनांक 14 जुलाई 2013 के आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है, इस विषय में आपको सूचित किया जाता है कि आपका दिनांक 14 जुलाई 2013 का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा के अंतर्गत आपका दिनांक 18 अगस्त 2013 को पोस्टल आर्डर संख्या 10F 940781 भेजा गया था। आवेदन बिना दस्तखत के प्राप्त हुआ, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपितु आपका आवेदन उपसचिव/मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश को हस्तांतरित किया जा रहा है। अत: आपको सलाह दी जाती है कि भविष्य में इस विषय में मुख्य सचिव कार्यालय से संपर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री विकास मिश्रा, उपसचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, बल्लभ भवन, भोपाल, म. प्र. (कृपया आवेदक को कृत कार्यवाही सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें)

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)-(1) के अन्तर्गत

आवेदन पत्र

RTI-18

Vice President's Secretariat Dy. No. 15 Date New Delhi

1. आवेदक का नाम- श्रीमती अंजुम बी पति सत्तार खान
2. पूरा पता/ई-मेल/फेक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है- 332 इसहाक नगर कॉलोनी, खरजाना इन्दौर (म.प्र.)
3. दूरभाष क्रमांक - 9753416185, 9300721821
4. आवेदन देने का दिनांक - 18.08.13
5. कार्यालय का नाम- ઉપરાષ્ટ્રપતિ [illegible] ભારત સરકાર [illegible] નઈ દિલ્લી
6. चाही गई जानकारी का विवरण- संलग्न शिकायत मय शपथपत्र तारीख 14.07.13 में आपके द्वारा अभी तक की गई सारी कानूनी कार्यवाहीयों आदि की जानकारी प्रदान करे तथा अभी तक की गई संपूर्ण कार्यवाही की सत्यापित प्रतियां प्रदान करें।

   नोट- यह कि उक्त जानकारी श्रीमान माननीय म.प्र. हाईकोर्ट जबलपुर/इन्दौर में भारतीय संविधान के अर्टिकल्स 226 तथा 227 के तहत एक रिट पिटिशन दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु दायर करने हेतु तत्काल चाहिये।

   ....

7. क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना (जो लागू न हो उसे काट दें तथा जो चाहते है खाली स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखें)
8. आवेदन पत्र के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीस रूपये 5/- नगद/स्टॉम्प (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं)
   रसीद क्रमांक............................दिनांक................
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे हैं अथवा नहीं-हाँ/नहीं (जो लागू न हो उसे काटे) यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक......................

हस्ताक्षर आवेदकर्ता

(श्रीमती अंजुम बी पति सत्तार खान)
332, इसहाक नगर कॉलोनी, खजराना,
इन्दौर (म.प्र.)
मो. नं. 9753416185, 9300721821

टीप:- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 5/- का स्टॉम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाकव्यय सहित स्वयं पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

☐ अत्यंत आवश्यक व त्वरित/तत्काल।

☐ बलात्कार, लूट व डकैती का मामला।

☐ घर में जबरिया घुसकर बलात्कार करने व जान से मारने के मकसद से भयंकर मारपीट कर घर में रखे शो केश में से रूपये 3500/- सोने की झुमकी ले जाने के विरूद्ध शिकायत मय शपथपत्र के साथ।

प्रति,

दिनांक: 14.07.2013

श्रीमान माननीय श्री Vice President
Govt of India New Delhi

विषयः इन्दौर, खजराना, इसहाक कॉलोनी मकान नं. 332 में अचानक घुसकर घर की लाईट फौरन बन्द कर बहू, बेटी और सास के साथ जिस्मानी अशलील और अमानवीय हरकते कर घर में मौजूद आदमी के साथ तथा बहू, बेटी व सास चारों के साथ भयंकर मारपीट कर रोंद रोंद कर ...कारी व जिना खौरी करने के पूरे इरादे व नियत व मंशा के साथ बलपूर्वक व पूरी ताकत झौंकर जबरिया बलात्कार करने हेतु तीनों पर्दानशीन बहु बेटी व घर में मौजूद सास के साथ पकड़ा पकड़ी, खींचतान कर ओंदा, सीधा, आजू बाजू से पकड-पकड कर पूरी तरह रोंद रोंद कर घर के पहले कमरे के फर्श पर बार बार उठा पटक करने तथा कपड़े खींचतान कर खोलने व जाते जाते एक सोने की झुमकी व रूपये 3000/- शो केश में से निकाल ले गए व पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की अंतिम चेतावनी देते हुए चले जाने के विरूद्ध शिकायत पत्र मय शपथ पत्रों के साथ वास्ते अतिआवश्यक व त्वरित कानूनी कार्यवाही करने तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्तुतिकरण बाबद्।

आदरणीय महोदय,

1. उपरोक्त विषय में कानूनी प्रार्थना यह है कि तारीख 10.07.13 को रात को करीब 9.30 बजे मेरा पति मेरे घर के ठीक सामने मेरे 5 महिने के छोटे से बच्चे यानि लड़के (बेटे) को लेकर खड़े हुए थे और अचानक एक बाईक परे सवार होकर जुबैर प्रेशर हार्न को बजाते हुए बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हुए ठीक पास से हलका हवाई टच करते हुए निकला, जिसकी वजह से गोद में लिया हुआ बच्चा अचानक चमक गया और घबरा गया और एकदम गोद से उछल गया जिसे संभालने के मेरे पति आगे बढ़े और उसके फौरन बाद दूसरी बाईक पर वकील तथा इसके चाचा का लड़का (जिसका नाम नहीं मालूम लेकिन सूरत से पहचानते है) पीछे बैठा था मेरे पति के ठीक सामने से गुजरा तो इस पर पति ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ लोग हैं इस पर वकील इसके साथी के साथ वापस गाड़ी पलटाकर लाया और मेरे पति को एकदम गाली गलोच कर मारापीटी करने लगा और इतने में हम तीनों घर की पर्दानशीन मस्तुरातों ने मेरे पति को खींचकर घर के अन्दर लेकर दरवाज़ा व खिड़की लगा दी। यह कि वकील व इसके साथी ने फौरन फोन कर 8-9 गुण्डे बदमाश प्रार्थी के घर पर बुलवा लिए और खिड़की तोड़ने लगे और चिल्ला चिल्ला कर माँ बहन की गालियां देते हुए कहने लगे, घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल, तेरे को अभी बताते हैं। यह कि दरवाजा नहीं खोलने पर इन 8-9 गुण्डों

अविरत...2

ने दरवाजे पर लात मार मार कर दरवाजा खोलकर एकदम अन्दर घुस गए और अन्दर आते से ही घर की लाईट बन्द कर दी होकर बहु, बेटी तथा सास को पकड़ लिया और हमारे साथ जिस्मानी अश्लील हरकतें करने लगे और अमानवीय दुराचार करते हुए जब हमने इन 8-9 गुण्डों का सामना किया तो मेरे पति को लात घुसों से मारने लगे और कहने लगे कि इनको आज फाईनली निपटाना है और बलात्कार करने की नियत से तीनों पर्दानशीन औरतों को पकड़ा पकड़ी करते रहे होकर कमरे में रखे शोकेश में से सोने की झुमकी व नगदी रूपये 3500/- निकाल लिए और भयंकर मारपीट करते हुए मेरे पति को दूसरे कमरे में घसीटते हुए ले गए और हमारे तीनों के साथ बदकारी, ज़िनाखौरी, व बलात्कार करने के लिए हमारे बदन को दबाकर दबाकर खींचा तानी करने लगे और कहते थे कि इन तीनों को अब छोड़ना नहीं है और अपने अरमान व वहसती आरजू पूरी करना है। आज ही इन तीनों को निपटाना है। इन 8-9 गुण्डों के द्वारा मिटिंग कर प्रिप्लानिंग कर हमारे साथ बलात्कार, ज़िनाखौरी व बदकारी करने की पूरी पूरी मंशा, इरादा तथा नियत की गई होकर बड़े बलपूर्वक व पूरी ताकत झोंककर जबरिया, बलात्कार करने हेतु हम तीनों पर्दानशीन बहु, बेटी व सास के साथ खतरनाक तरीकों से पकड़ा पकड़ी व खींचतान कर मना करने पर ओंदा, सीधा, आजू बाजू से पकड़-पकड़ कर पूरी तरह रोंद रोंद डाला होकर घर के फर्श पर हमें उठा उठाकर पटक दिया और कपड़े खींचतान कर खोलने लगे और इतने में बहुत भयंकर चिल्ला चोंट हुई तो हमारे लड़की शाहिस्ता बी व दामाद मोहम्मद सुहैल उर्फ राजू व एक कुंवारी लड़की फरजाना घर के सामने से गुजर रहे थे वो चिल्लाचोट सुनकर फौरन घर में आ गए और बीच बचाव कर इनका धकेला और इनको कहने लगे कि हम अभी पुलिस थाना खजराना इन्दौर में फोन कर पुलिस को बुलाते हैं, तो इस पर यह 8-9 गुण्डे एक के बाद एक करके भागने लगे तथा यह हादसा जब हो रहा था तब वकील की बहन और उसकी माँ भी दरवाजे पर खड़ी होकर घर के अन्दर मोहल्लेवालों को अन्दर आने से रोक रही थी। यह कि उपरोक्त बलात्कारी कुख्यात निम्नलिखित बलात्कारी गुण्डे व उनके साथियों के नाम इस प्रकार से हैं कि:- (1) वकील (2) जुबैर (3) वसीम (4) इलयास (5) वकील के चाचा का लड़का जो कि वकील के घर में ही साथ में रहता है (6) जुबैर का एक दोस्त (7) वकील के मामू का लड़का (8) इसका नाम नहीं मालूम (9) 3 के नाम नहीं मालूम हैं- लेकिन चेहरे से हम पहचानते हैं (10) अमरीन (11) वकील की माता आदि इत्यादि ये सब उक्त जिनाखौरी, लूट व डकैती में शामिल हैं।

2. यह कि, उक्त बलात्कारी, बदकारी, ज़िनाखौरी की घटना के फौरन बाद हमारे रिश्तेदार हमें पुलिस थाना खजराना, इन्दौर लेकर गए और वहां पर तैनात ड्यूटी ऑफिसर को पूरा हादसा बयान किया गया, तो इस पर यह कहा गया- कि कहां लगी तुमको? कितना खून निकला तुम को, तो इस पर हमने कहा कि हमारे साथ बलात्कारी घटना घटी है और हम पर्दानशीन इज्जतदार घर की महिलाएं हैं और हमारी पूरी इज्जत इन उपरोक्त वर्णित बलात्कारी गुण्डों के द्वारा एकमत हो कर प्रिप्लानिंग कर लूटी गई होने से कृपया इस मामले में आज रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। यह कि हमारे द्वारा बार बार रो रोकर घटनाक्रम बयान करने पर रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई लेकिन अदमचेक काट कर हमें वहां से भगा दिया गया और जब हम अपने घर पर आए तब वकील की माता व बहन यह बात ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगी की हमने पहले से ही थाना रूपये पैसे देकर सेटकर बांद दिया है और अब तुम्हारी रिपोर्ट किसी भी कीमत में नहीं लिखी गई है और ना ही आगे लिखी जावेगी और हकीकत में यही हुआ कि हमारी रिपोर्ट आखिरकार पूरे प्रयत्न करने पर भी आज तक नहीं लिखी गई है और इस सुनियोजित जमावट की वजह से हम अब आगे कानूनी कार्यवाही कर रहें हैं, क्योंकि रोजाना यह 8-9 गुण्डें बदमाश हमारे पूरे खानदान को रात दिन गुण्डागर्दी व देहशतगर्दी का आतंक फैलाकर जान से मारने के लिए सुनियोजित ढंग से षडयंत्र रचकर योजना बना रहे हैं, यह कि अगर हमारे परिवार के किसी भी एक मेम्बर को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उपरोक्त वर्णित गुण्डों तथा इन गुण्डों से सांठ गांठ करने वाले पुलिस वालों पर सीधे

अविरत...3

कानूनन रहेगी, जिनके खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही उच्च स्तर पर तथा उच्च न्यायालयीन स्तर पर जरूर करेंगे। सो कानूनन सूचित होवें व सनद रहे।

3. यह कि, उक्त गुण्डे हमारे घर के सामने से बार बार आ जा रहे होकर नंगी नंगी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और अब आगे इस घटना में कानूनी कार्यवाही करने के लिए मना कर रहे होकर समझौते के लिए इसरार शेरशाह सूरी नगर खजराना, इन्दौर में रहता होकर इनके मामू का लड़का है हमारे पास आया और हमें पहले रूपयों पैसों की लालच दी गई जब हम नही माने तो धमकी दे गया कि तुमको अब जान से ही मारना पड़ेगा, तो ही मामला सही ढंग से निपटेगा और इन गुण्डों के द्वारा भी समझौता नहीं करने पर जान से मारने की अंतिम चेतावनी दी गई है और प्रार्थी के मकान के पास में व सामने कुर्सी लगा लगाकर बैठ रहे होकर हम पर्दानशीन घरेलू औरतों, बच्चों, जवान जवान लड़कियों, बहुओं, बेटियों व सास को फिर से अटेक कर निपटाने की धमकियां दे रहें होकर हमें छोड़ रहे होकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहें हैं।

4. यह कि, तारीख 13.07.13 को अमरीन व उसकी माँ यह कह कर चेतावनी दे रही थी कि अगर तुमने अब आगे कोई या किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही पुलिस व कलेक्टर ऑफिस में लिखित में वकील साहब करके की तो यह तीनों अमरीन उसकी माता अपने कपड़े फाड़ कर पुलिस थाना खजराना, इन्दौर में बलात्कार का मुकद्मा दायर कराने हेतु खड़ी हो जावेंगी। सो एडवांस में सूचित होवे व सनद रहे।

5. यह कि, प्रार्थी शिकायतकर्ता के निवास स्थान का तथा मकान का तथा जिस कमरे में उक्त हादसा हुआ है, उन सब के फोटोग्राफ्स भी इस शिकायत के साथ संलग्न कर बास्ते अतिआवश्यक व त्वरित कानूनी कार्यवाही करने हेतु पेश किए जा रहे हैं। यह कि उक्त कांड शर्मनाक घटनाक्रम होने से इसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी होकर निहायत कानूनन समय की आवश्यकता है, सो फौरन लिया जावे।

6. यह कि, मामला अतिगंभीर व अतिसंगीन होने से हम इस मामले को उच्च स्तर पर उठा रहे हैं तथा मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार को इस हादसे की जानकारी वास्ते कानूनी कार्यवाही करने हेतु दे रहे हैं।

7. यह कि, इस शिकायत के सपोर्ट में एक शपथपत्र भी दिया जा रहा है, सो सही है, जो कि वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे व सनद् रहे।

8. अतः आपसे कानूनन प्रार्थना है कि आप उक्त मामले में हमारी रिपोर्ट उपरोक्तानुसार घटनाक्रम होने से फौरन लिखने की कृपा करें।

दस्तखत आपके आज्ञाकारी गण

अन्जुम

(श्रीमती अंजुम बी)
पति सत्तार खान
पता-332, इसहाक कालोनी,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)
मो.नं. 9300721821

Sufiya
(कु. सुफिया खान)
पिता सत्तार खान
पता-332, इसहाक कालोनी,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)
मो.नं. 9300721821

T.I.
(बेबी [illegible] बी)
मरहूम सरवर बेग
पता-332, इसहाक कालोनी,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)
मो.नं. 9300721821

फरजाना
(कु. फरजाना बी)
पिता मरहूम सरवर बैग
पता-332, इसहाक कालोनी,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)
मो.नं. 8225066832

(सत्तार खान)
पिता नूर मुहम्मद खान
पता-332, इसहाक कालोनी,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)
मो.नं. 9753416185

25696/2013
15/7/13

श्रीमान नोटरी के समक्ष

शपथ पत्र

1. यह कि शपथकर्ता निम्नलिखित जानकारी शपथपूर्वक देते हैं कि :-

(A) मेरा नाम अंजुम बी पति सत्तान खान, उम्र 26 वर्ष, धंधा-गृहणी, निवासी-332, इसहाक कालोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

(B) मेरा कुँवारी सुफिया खान पिता सत्तान खान, उम्र 13 वर्ष, धंधा-8वीं में पढ़ती है, निवासी-332, इसहाक कालोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

(C) मेरा नाम बेवा गुड्डी बी पति मरहूम सरवर बैग, उम्र 45 वर्ष, धंधा-बर्तन मांजना, निवासी-332, इसहाक कालोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

(D) मेरा नाम कुमारी फरजाना बी पिता मरहूम सरवर बैग, उम्र 18 वर्ष, धंधा-गृहणी, निवासी-332, इसहाक कालोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

(E) मेरा नाम सत्तान खान पिता नूर मुहम्मद खान, उम्र 36 वर्ष, धंधा-मजदूरी निवासी-332, इसहाक कालोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

2. यह कि शपथकर्ता द्वारा एक शिकायत तारीख 14.07.2013 को तैयार की गई है। जिसमें बलात्कार, ज़िनाख़ोरी, बदकारी, लूट, डकैती के बारे में लिखित सारी जानकारी और माहिती कानूनन प्रथम दृष्टियाँ सही दर्शाई गई होकर सत्य है तथा पेरेग्राफ एक से लेकर अंत तक में facts and figures दर्शाये गए हैं।

3. यह कि यह शपथ पत्र शपथकर्ता द्वारा तैयार की गई शिकायत तारीख 14.07.2013 के सपोर्ट में दिया जा रहा है।

तारीख : 14.07.2013

गुड्डी बी — शपथकर्ता

Sufiya — अन्जुम, फरजाना — Sattar

//सत्यापन लेख//

यह सत्यापित किया जाता है कि उक्त शपथ पत्र में प्रारंभ से अंत तक के पेरेग्राफ में दी गई सारी जानकारी व माहिती सत्य होकर सही है। इसमें कुछ भी असत्य कथन नहीं किए गए हैं और ना ही कुछ छुपाया गया है।

तारीख : 14.07.2013

शपथकर्ता

SWORN BEFORE ME

Sufiya — अन्जुम, फरजाना — Sattar

S. C. MALVIYA
NOTARY
Court, INDORE

KNOW THE DEPONENT